



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1636]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 24, 2012/भाद्र 2, 1934

No. 1636]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 24, 2012/BHADRA 2, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2012

New Delhi, the 24th August, 2012

का.आ. 1959(अ).—राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान को तत्काल प्रभाव से राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान के रूप में पुनर्नामित किया जाता है।

S.O. 1959(E).—The National Institute of Intellectual Property Management (NIIPM), Nagpur, is renamed as Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management, Nagpur, with immediate effect.

[फा. सं. 08/04/2012-आईपीआर-III]

[F. No. 08/04/2012-IPR-III]

डी. वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

D. V. PRASAD, Jt. Secy.